डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस

उनवान

लालाराम पुत्र नारायण उम्र 68 जाति बैरवा निवासी सांकरवाडा तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

वादी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

प्रतिवादी

दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषधाज्ञा
अर्न्तगत धारा।88 आर0 टी0 एक्ट एवम
136 भू राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0ः– 163 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री छुट्टन लाल मीना एडवोकेट एवं हमारे मिनजानिब .... मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

ग्राम सांकरवाडा में स्थित खाता संख्या 119 में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 850 रकबा 1.18 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.18 है में वादी का नाम लालचन्द के स्थान पर लालाराम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निज.................मुबलिंग.......................बाबत.....................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.01.2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:— 163/2025 तारीख रजू :— 06.11.2025

पीठासीन अधिकारी :— श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

1. लालाराम पुत्र नारायण उम्र 68 जाति बैरवा निवासी सांकरवाडा तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

प्रतिवादी

दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88 आर0 टी0 एक्ट एवम 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— 1 श्री छुट्टन लाल मीना एडवोकेट वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादी

निर्णय दिनांक— 28.1.26

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या 119 में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 850 रकबा 1.18 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.18 है0 स्थित ग्राम सांकरवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0) में है। जिसमें वादी 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। बकिया हिस्से के अन्य खातेदार काश्तकार है। जो हाल जमाबंदी 2073 — 2076 से भली—भांति साबित है। वाद पत्र में वादी का नाम रेवन्यू कर्मचारियों की भूल से लालाराम के स्थान पर लालचन्द्र दर्ज हो गया है, जबकि अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का नाम लालाराम दर्ज है। जिनका दुरूस्त होना कानूनन आवश्यक एवं न्यायासंगत है तथा ग्राम सांकरवाडा में लालाराम व लालचन्द के नाम से अन्य कोई व्यक्ति नही है।

वादी ने उक्त गलत नाम को शुद्व करवाने हेतु दिनांक 31/10/ 2025 को तहसीलदार टोडाभीम से निवेदन किया था, परन्तु तसहीलदार टोडाभीम

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

ने कहा कि तुम उक्त नाम को शुद्व करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में दुरूस्ती का दावा पेश करों, इसलिये वाद पत्र पेश कराना आवश्यक हुआ है। दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी बावत् इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर भूमि वर्णित मद नं0 01 में दर्ज आराजी खाता संख्या 119 में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 850 रकबा 1.18 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.18 है0 स्थित ग्राम सांकरवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0) में वादी का नाम लालचन्द के स्थान पर लालाराम दर्ज करने के आदेश फरमावें

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी पैरोकार सरकार (तहसीलदार टोडाभीम) को जरिये सम्मन तलब किया गया है पैरोकार सरकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार (तहसीलदार टोडाभीम) ने जबाव पेश किया कि वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 850 रकबा 1.18 में वर्तमान रिकार्ड अनुसार वादी का नाम लालचन्द्र पुत्र हरना जाति बैरवा निवासी साकरवाडा के नाम रिकार्ड दर्ज है। ग्रामवासियो के बताये अनुसार वादी लालाराम के पिता का नाम नारायण है जबकि वादी हरना का गोद पुत्र है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, पैनकार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र में भी वादी का नाम लालाराम पुत्र नारायण है। वादी लालाराम पुत्र नारायण जाति बैरवा वादपत्र अनुसार राजस्व रिकार्ड में **लालचन्द** के स्थान पर **लालाराम** करवाना चहाता है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में भी नाम लालाराम दर्ज है एवं **लालचन्द एवं लालाराम** एक ही व्यक्ति है

वादी वकील व पैराकार सरकार की बहस सुनी गई वादी वकील द्वारा दौराने बहस बताया कि खाता संख्या 119 में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 850 रकबा 1.18 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.18 है0 स्थित ग्राम सांरवाराडा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज) में है। जिसमें 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है रेवन्यू कर्मचारियों से सहवन से लालाराम के स्थान पर लालचन्द दर्ज हो गया है, जबकि अन्य सभी दस्तावेजात में वादी का नाम लालाराम दर्ज है। जिनका दुरूस्त होना आवश्यक एवं न्यायसंगत है तथा ग्राम सांकरवाडा में **लालाराम व लालचन्द** के नाम से अन्य कोई व्यक्ति नही है। पैराकार सरकार द्वारा बहस में बताया कि वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 850 रकबा 1.18 में वर्तमान रिकार्ड अनुसार वादी का नाम लालचन्द पुत्र हरना जाति बैरवा निवासी साकरवाडा के नाम रिकार्ड दर्ज है। ग्रामवासियो के बताये अनुसार वादी लालाराम के पिता का नाम नारायण है जबकि वादी हरना का गोदपुत्र है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधारकार्ड, पहचान पत्र, पैनकार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र में वादी का नाम लालाराम पुत्र नारायण दर्ज है। वादी लालाराम पुत्र नारायण जाति बैरवा वादपत्र अनुसार राजस्व रिकार्ड में लालचन्द के स्थान पर लालाराम करवाना चाहता है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो में भी नाम लालाराम दर्ज है एव **लालचन्द एवं लालाराम** एक ही व्यक्ति है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। खाता संख्या 119 में वर्णित हाल खसरा नम्बर 850 रकबा 1.18 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.18 है0 स्थित ग्राम सांकरवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली (राज0) में है में वादी का नाम लालचन्द दर्ज है। तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट अनुसार **लालचन्द एवं लालाराम** एक ही व्यक्ति का नाम है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम सांकरवाडा में स्थित खाता संख्या 119 में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 850 रकबा 1.18 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 1.18 है में वादी का नाम लालचन्द के स्थान पर लालाराम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ निर्णय प्रति भिजवाया जावें। आदेश पेश किये गए दस्तावेजों की सत्यता के आधार पर ही प्रभावी रहेगा जिसकी जिम्मेदारी वादी स्वंय की होगी।

यह निर्णय दिनांक ....28.1.26........ को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली